I/31355/2020

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 12 अक्टूबर ~~सितम्बर~~**, 2020**

विषय:-प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा मण्डी परिषद की सेवाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश की चयनित सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किये जाने के लिये गये निर्णय निमित्त मण्डी परिषद की 02 सेवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से जनसेवा केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्दों द्वारा आम जनमानस को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जाना है।

2- मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश की 02 सेवाओं यथा-मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह सेवायें प्रदेश में स्थापित समस्त जनसेवा केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा सकेंगी। इन सेवाओं के सापेक्ष आम जनमानस से लिये जाने वाले यूजर चार्जेज का अंश विभाजन आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के वर्तमान में लागू शासनादेश संख्या-77/78-2-2019-53 आईटी/2012 दिनांक 05 फरवरी, 2019 की व्यवस्थानुसार प्रभावी होगा:-

क्र.स.	**सेवा का नाम**	**यूजर चार्ज का अंश(रू.)**				कुल यूजर चार्ज (रू.)
		डी0 एस 0 पी 0/ केन्द्र संचालक	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस./लोकवाणी सोसाइटी	सी.ई.जी.	
1	मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना	6	3	9	2	20
2	मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना	6	3	9	2	20

3- आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र/जनसुविधा केन्द्र/ ई-सुविधा केन्द्र में जा कर केन्द्र ऑपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदक से प्राप्त सभी सूचनाओं को भरते हुए आवेदन को विभागीय अधिकारियों को अग्रसारित करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बधित सेवा के लिये प्रस्तर-2 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र ऑपरेटर को किया जायेगा।

4- आम जनमानस के उपयोगार्थ मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश की यह सेवायें सभी जनसेवा केन्द्र /जनसुविधा केन्द्र/ई-सुविधा केन्द्रों के साथ-साथ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।

5- भविष्य में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध अन्य सभी सेवाओं की भाँति मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश की उल्लिखित 02 सेवाओं के सापेक्ष लिये जाने वाला यूजर चार्ज आई 0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशों की व्यवस्थानुरूप ही लिया जायेगा।

6- उक्त दोनों योजनाओं में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगें तथा इन ऑनलाइन आवेदनों को सचिव, मण्डी समिति तथा संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा योजना की प्रक्रियानुसार ऑनलाइन निस्तारित किया जायेगा।

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक:-उपरोक्तानुसार सूची।</u>

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

Digitally signed by डॉ0
देवेश चतुर्वेदी
Date:Wed Sep 30 17:27:59 IST
2020
Reason: Approved

संख्या एवं तदैव दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टॉफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, योजन भवन, लखनऊ।
7- हेड, एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त सभापति, मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(समर बहादुर)
अनुसचिव